भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4317

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मुजफ्फरनगर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल

4317. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ईएसआईसी अस्पताल खोलने की योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों विशेषकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और बिजनौर में हृदयाघात, लकवा, हेपेटाइटिस और कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियों के रोगियों की लगातार बढ़ती संख्या की रोकथाम और उपचार संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसी बीमारियों के कारणों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, किसी भी जिले में नए अस्पताल खोलने के मानदंड केचमेंट एरिया की 25 किमी के दायरे के भीतर उपलब्ध बीमित व्यक्तियों (आईपी) की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बिस्तरों की संख्या	केचमेंट एरिया के 25 किमी के दायरे के भीतर बीमित व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या
1.	30 बिस्तरों वाला अस्पताल	20,000
2	100 बिस्तरों वाला अस्पताल	50,000
3	150 बिस्तरों वाला अस्पताल	1,00,000
4	200 बिस्तरों वाला अस्पताल	1,50,000
5	250 बिस्तरों वाला अस्पताल	2,00,000
6	300 बिस्तरों वाला अस्पताल	2,50,000
7	350 बिस्तरों वाला अस्पताल	3,00,000
8	400 बिस्तरों वाला अस्पताल	3,50,000
9	500 बिस्तरों वाला अस्पताल	4,00,000
10	600 बिस्तरों वाला अस्पताल	5,00,000

आईपी आबादी को 25 किमी के दायरे में लिया जाना चाहिए और 50 किमी के दायरे में कोई अन्य ईएसआईसी अस्पताल नहीं होना चाहिए। यदि 50 किमी के भीतर एक और ईएसआईसी अस्पताल है, तो प्रत्येक ईएसआईसी अस्पताल को संबंधित केचमेंट एरिया में इन मानदंडों को पूरा करना चाहिए (उदाहरण के लिए, यदि दो ईएसआईसी अस्पताल 40 किमी की दूरी पर हैं, तो प्रत्येक अस्पताल को 20 किमी के दायरे में इन मानदंडों को पूरा करना चाहिए)।

इसके अतिरिक्त, पहाड़ी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पताल खोलने के लिए न्यूनतम 15,000 बीमित व्यक्तियों (आईपी) की आवश्यकता होती है।

(ख): कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अनुसार, मुजफ्फरनगर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ): उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ईएसआईसी अस्पताल, मोदीनगर, ईएसआईसी अस्पताल, साहिबाबाद और ईएसआईसी अस्पताल, नोएडा में हृदयाघात, लकवा, कैंसर, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि के लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और बिजनौर के बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को विशिष्ट परिचर्या का उपचार मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, नोएडा और गाजियाबाद के बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों का पैनलबद्ध चिकित्सा संस्थाओं में उपचार किया जाता है।

भारत सरकार ने जुलाई 2018 में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाई गई मुख्य कार्यनीतियों में जागरूकता सृजन, पहुंच बढ़ाने, निदान को

बढ़ावा देने और हेपेटाइटिस सी के उपचार और हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए सभी पात्र लोगों को नि:शुल्क निदान और नि:शुल्क उपचार प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारात्मक कार्यकलाप शामिल हैं। एनवीएचसीपी के तहत सेवाओं के प्रावधान के लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और बिजनौर सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उपचार केन्द्रों और रेफरल केन्द्रों (आदर्श उपचार केन्द्रों) को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई के नि:शुल्क निदान और उपचार का प्रावधान है। वर्तमान में, राज्य में कुल 06 आदर्श उपचार केन्द्र और 100 उपचार केन्द्र चिन्हित किए गए हैं, जिनके माध्यम से हेपेटाइटिस-बी और हेपाटाइटिस-सी रोगों की जांच एवं उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य के 21 चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में, हेपेटाइटिस-बी और सी के अलावा, हेपेटाइटिस ए और ई के निःशुल्क उपचार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। राज्य में हेपेटाइटिस सी के लिए कुल 3,23,223 लोगों की जांच की गई है और 1,01,267 रोगियों को उपचार पर रखा गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत उत्तर प्रदेश सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम हृदयाघात, आघात और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा के उपयुक्त स्तर तक रेफरल और जागरूकता सृजन पर ध्यान केंद्रित करता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत प्रमुख एनसीडी का उपचार भी उपलब्ध है। यह योजना भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम जेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के हिस्से के रूप में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित सामान्य एनसीडी की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। इन सामान्य एनसीडी की जांच सेवा प्रदायगी का एक अभिन्न अंग है।

इसके अतिरिक्त, गैर-संचारी रोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में गैर-संचारी रोगों से संबंधित स्वास्थ्य दिवसों को मनाना, सतत सामुदायिक जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। एनसीडी के लिए जागरूकता सृजन संबंधी कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समुदाय में, प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मी) एनसीडी के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आशाकर्मी व्यक्तियों और परिवारों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व पर शिक्षित करती है, जिसमें पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक कार्यविधि और तंबाकू एवं शराब के उपयोग से बचना शामिल है। (आशा कार्यकर्ता नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग के माध्यम से इसका शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर देती हैं, जिससे घर का दौरा, समूह बैठकों और स्वास्थ्य अभियानों में भागीदारी के माध्यम से समय पर कार्यकलाप संभव हो पाता है)।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाने की आदत को बढ़ावा देने के लिए "ईट राइट इनिशिएटिव" और "आज से थोड़ा कम" जैसे अभियान शुरू किए हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "फिट इंडिया मूवमेंट" और "खेलो इंडिया" शारीरिक क्रियाविधि में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं।

****